''भारतीय न्याय संहिता–2023'' ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023'' एवं ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023'' सम्बन्धी कानूनों की जानकारी/जागरूकता विषयक सेमीनार में माननीय राज्यपाल महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 30 अगस्त, 2024)

जय हिन्द!

पिछले माह 1 जुलाई 2024 को अपने देश में लागू हुए महत्वपूर्ण तीन कानूनों के सम्बन्ध में जागरूकता के लिए आयोजित इस सेमीनार में उपस्थित आप सभी के बीच मुझे अपार खुशी की अनुभूति हो रही है।

साथियों,

भारतीय विचारधारा में न्याय को बहुत महत्व दिया गया है। न्याय स्वतंत्र स्वशासन का मूल है और न्याय के बिना किसी राष्ट्र का अस्तित्व भी संभव नहीं है। 21वीं सदी के मुद्दों को 20वीं सदी के नजरिए से नहीं निपटाया जा सकता है, इसीलिए पुनः विचार और सुधार की आवश्यकता को समझते हुए भारत ने मौजूदा वास्तविकताओं के अनुरूप कानून में बदलाव किया है।

भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ये नए तीन कानून ऐतिहासिक है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैरजरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे।

हर कोई चाहता है कि सजा का उद्देश्य पीड़ित को न्याय दिलाना और समाज में एक उदाहरण स्थापित करना होना चाहिए ताकि कोई और ऐसी गलती न करे। मुझे भरोसा है कि भारतीय आत्मा से बने ये तीनों कानून हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।

साथियों,

1860 में बनी भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। ये कानून अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने और अपनी गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाए थे। पुराने तीनों कानूनों में न्याय की कल्पना नहीं की गई थी और केवल सजा को ही न्याय माना गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार लगभग 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले तीन कानूनों में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता से संबंधित परिवर्तन किए गए हैं।

उनकी इस पहल ने इन तीनों कानूनों को गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों से मुक्त कर दिया है। तीन पुराने कानूनों के स्थान पर लाए गए ये नए कानून हमारे संविधान की तीन मूल भावनाओं–व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं।

पुलिस को जवाबदेह बनाते हुए तीन नए कानून पीड़ित केंद्रित बनाए हैं। तकनीक के इस्तेमाल से हमने भारतीय न्याय व्यवस्था को पूरी दुनिया में सबसे उन्नत बनाने का प्रयास किया है।

केंद्र सरकार ने इन कानूनों में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करके उसकी सभी कमियों को दूर करने का काम किया है। इन कानूनों में राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया गया है और इसमें ऐसी दृढ़ता रखी गई है कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी बख्शा नहीं जाएगा।

तीनों नए कानून न्याय, समानता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों के आधार पर लाए गए हैं। इन कानूनों में फोरेंसिक साइंस को बहुत महत्व दिया गया है। इन कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, वकील और जजों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

पहले सजा देने के केन्द्रीकृत विचार वाले कानून थे, अब पीड़ित केन्द्रित न्याय की शुरुआत हो गई है। सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय की सुगमता को साकार किया गया है तथा निष्पक्ष, समयबद्ध, साक्ष्य आधारित त्वरित सुनवाई को प्रवर्तन के लिए रखा गया है जिससे न्यायालयों और जेलों पर बोझ कम होगा।

इन कानूनों के जरिए जांच में फोरेंसिक विज्ञान के आधार पर अभियोजन को मजबूत किया है और बलात्कार पीड़िता का बयान ऑडियो–वीडियो मोड के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य किया है। इन नए कानूनों के पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय व्यवस्था होगी।

भारतीय न्याय संहिता में मानव और शरीर से जुड़े अपराधों बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण और तस्करी आदि को प्राथमिकता दी गई है।

इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और कोई भी इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई भारत के झंडे, सीमाओं और संसाधनों के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा क्योंकि केंद्र सरकार का जोर है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। देशद्रोह की परिभाषा में उद्देश्य और नीयत की बात की है और अगर उद्देश्य देशद्रोह है तो आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष राजद्रोह के आरोप में जेलों में बिताए, आज सरकार की इस पहल से उनकी आत्मा को अवश्य संतुष्टि मिलेगी कि स्वतंत्र भारत में आज इस अन्यायपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार

केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आतंकवाद को स्थान दिया है। आतंकवादी ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।

आतंकवादी कृत्य के लिए अपराध एक ही स्थान पर दर्ज होता था, लेकिन आज तक सीआरपीसी में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी और लोग बच निकलते थे। इस कानून के माध्यम से उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अंग्रेजों के जमाने की गुलामी की सारी निशानियों को मिटाकर अब यह संपूर्ण भारतीय कानून बन चुका है।

भारत को औपनिवेशिक काल से कानूनी व्यवस्था विरासत में मिली है। अब, 3 नए कानूनों ने 100 साल से अधिक पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों की जगह ले ली है। पहले, ध्यान सजा और दंडात्मक पहलुओं पर था। अब, ध्यान न्याय सुनिश्चित करने पर है। इसलिए नागरिकों में भय की बजाय आश्वासन की भावना है। अपने देश को अब औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति मिल गई है।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों के लागू होने के बाद देश में एक नई न्याय प्रणाली होगी। अब गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों को मिटाकर शीघ्र ही नए आत्मविश्वास के साथ एक महान भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

अब हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी होगी जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। नए कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी।

अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। मुझे विश्वास है कि देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून इस अमृत कालखण्ड में देश को नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे और न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे, साथ ही देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे।

जय हिन्द!